

संचिका संख्या : 15/औ०-01-29/2025 - ...../स्वा०

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

श्रीमती किरण कुमारी, औषधि निरीक्षक, मधुबनी-01 के द्वारा दिनांक-04 09 2025 से दिनांक-02.11.2025 तक कुल - 60 (साठ) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को उनके अनुरोध एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के तहत का शिशु-देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. उपर्युक्त अवकाश के उपरांत श्रीमती कुमारी के पक्ष में कुल-670 (छः सौ सत्तर) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 15/औ०-01-29/2025 256(15A) पटना/दिनांक - 08/04/2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सहायक औषधि नियंत्रक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: श्रीमती किरण कुमारी, औषधि निरीक्षक, मधुबनी-01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।  
१४/४